तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
4/2/25	पत्रावली पेश हुई/वकील उभय पक्ष एवं गवाह की ..... अनुपस्थित है। ..... स्थानीय आयोग ..... द्वारा प्रतिवादी पुनर्विचार दि. ..... 2/2/25 को पेश हो।	
3/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष अनुपस्थित। पत्रावली में मौका रिपोर्ट उपलब्ध है। वकील उभय पक्ष की अनुपस्थिति में सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. के वरदा संख्या 2 में वर्णित अपरजी नम्बर 226 रकबा 0.12.00 है. भूमि स्थल जमाबन्दी वर्ष 2017 के अनुसार मौका पर्ची इहा 1/2 एवं सत्यनारायण पिता रामेश्वर 1/2 भूमि रेकार्ड है। प्रार्थिगण व सत्यनारायण के बीच आपसी बंटवारा कर अलग किया है। अब वर्णित अपरजी के पटेदारी खातेदार तिवारी द्वारा अपनी खातेदारी अपरजी संख्या 2317 के खातेदार द्वारा प्रार्थिगण की खातेदारी अपरजी के अन्दर उत्तरी पश्चिमी कोने पर अवैध विपक्षी द्वारा ट्यूबवेल लगा रखी है। जो 20 फीट पर अतिक्रमण कर लिया गया। प्रार्थिगण की खातेदारी अपरजी सं. 226 में एक इंच भी पर निर्माण कार्य नहीं करें कोई कब्जा तामीर नहीं करें वरना वादीगण के कब्जे काश्त में एवं उपयोग उपभोग में कोई दखल एवं बाधा पैदा नहीं करें मौके की स्थिति में परिवर्तन नहीं करें प्रार्थिगण ने विपक्षी के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा का की पालना किया जावे। प्रार्थना पत्र में वर्णित विपक्षी के विरुद्ध तथ्यों के सम्बन्ध में विपक्षी द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया कि विपक्षी संख्या 1 वादीगण द्वारा निर्मित की गई अपरजी नम्बर 2317 पर ही कब्जा लेकर काश्त करता आ रहा है। प्रार्थिगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. स्वीकार किया जावे।	

FORM No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अदालत ..... मौका ..... मुकाम ..... नरेन्द्र सिंह

मौका ..... बनाम ..... नरेन्द्र सिंह

मुकदमा ..... प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए. ..... 26/2/21 ..... सन् 2021

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
पत्रावली के अवलोकन से दृष्टिगत पाया कि प्रार्थिगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. स्वीकार किया जाता है। विपक्षी को अस्थायी निषेधाज्ञा के स्थगन आदेश से पालना किया जाता है कि प्रार्थिगण की खातेदारी अपरजी 226 में 1/2 हक हिस्सा है जिस पर प्रार्थिगण काबिज काश्त है जिसमें कोई कारगीर निर्माण कार्य नहीं करें प्रार्थिगण के उपयोग उपभोग में बाधा पैदा नहीं करें। मौके की स्थिति में परिवर्तन नहीं करें। प्रार्थना पत्र में उल्लेखित ट्यूबवेल के सम्बन्ध में विपक्षी ने अपनी खातेदारी अपरजी के पूर्वोत्तर क्षेत्र की तरफ सरकारी विभाग द्वारा आम जनता के सिंचाई प्रयोजन हेतु लगाई जाना विपक्षी ने अपने जवाब में अंकित किया गया है इस सम्बन्ध में मौके की वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट संबंधित हेतु तहसीलदार दूगला को लिखा गया किन्तु रिपोर्ट उपलब्ध होने से यह स्थिति स्पष्ट नहीं होती है कि यह ट्यूबवेल प्रार्थिगण के हिस्से में आई खातेदारी भूमि में ही स्थित है। इसलिए ट्यूबवेल के सम्बन्ध में कोई आदेश दिया जाना उचित नहीं है। तिथि खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार कर नम्बर से बंद हो।	

उपखण्ड अधिकारी
दूगला
जिला चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Ishwar Lal Khatik
Date: 2025.08.11 16:29:59 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner